भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2253

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

2253. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की ग्यारहवीं बैठक आयोजित की गई थी तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बैठक में किन प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई, कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा क्या-क्या सिफारिशें की गईं;

(ग) उक्त बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों से संबंधित विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा बांधों की संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, आपातकालीन कार्ययोजना तथा पुराने हो चुके बांधों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विशेषकर देश के भूकंपीय रूप से संवेदनशील एवं बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित बांधों के संबंध में समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार द्वारा देशभर में बांध सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी, हाँ। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की 11वीं बैठक 20 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों के विशेष आमंत्रित प्रमुख अधिकारियों सहित समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। यह कार्रवाई अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जो एनसीडीएस के अध्यक्ष भी हैं।

(ख): एनसीडीएस की बैठक के दौरान बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कई नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यसूची की मदों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित मदें शामिल थी:

- व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन (सीडीएसई) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) [अनुच्छेद 38-40] ;
- प्रारंभिक भराई योजना के लिए एसओपी [अनुच्छेद 27];
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा विशेषज्ञों को वित्तीय पारिश्रमिक;
- अनुच्छेद 35(2) के तहत स्तर-2 (एसक्यूआरए) जोखिम मूल्यांकन अध्ययनों संबंधी कार्यढांचे को अंतिम रूप देना;
- "निर्माणाधीन" बांधों/बैराजों को परिभाषित करने और उनकी अनुपालन आवश्यकताओं संबंधी विनियमन;
- नई बांध परियोजनाओं और वर्त्तमान परियोजनाओं के पुनर्वास के लिए अनुमोदन तंत्र [अनुच्छेद 26], जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से लिए गए संदर्भ शामिल हैं;
- विभिन्न गैर-संरचनात्मक दस्तावेजों के मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी तंत्र।

समिति ने कार्यान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों के संबंध में विस्तृत चर्चा के द्वारा कार्यसूची की मदों की पूरी समीक्षा की। उन्होंने सभी हितधारकों को स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य निर्देश दिए, जिसमें समयसीमा, संसाधनों का आवंटन और जवाबदेही के उपायों पर जोर दिया गया, ताकि महत्वपूर्ण कार्यकलापों और कार्यढांचे का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग): एनसीडीएस की 11वीं बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के प्रतिभागियों/विशेषज्ञों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): बाँधों की सुरक्षा का दायित्व, जिसमें उनका संचालन, रखरखाव, निगरानी, सुरक्षा ऑडिट और निगरानी शामिल हैं, मुख्य रूप से बाँध मालिकों का होता है। बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे बाँध के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के लिए विनिर्दिष्ट बाँध के प्रत्येक मालिक के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे प्रत्येक विनिर्दिष्ट बाँध का वार्षिक मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात निरीक्षण करें। इस अनुपालन के अनुसार, बाँध स्वामित्व वाली एजेंसियों ने वर्ष 2025 के दौरान क्रमशः लगभग 6524 और 6553 बाँधों के मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात निरीक्षण की रिपोर्ट की है।

इसके अतिरिक्त, बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अनुपालन में, राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण ने अप्रैल 2024 में "विनिर्दिष्ट बाँध के निरीक्षण, उपकरण, भूकंपीय डेटा, जोखिम मूल्यांकन और आकलन विनियम, 2024" नामक विनियम प्रकाशित किया है, जिसमें विनिर्दिष्ट

बाँधों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए बाँध पर आवश्यक न्यूनतम उपकरण सेट की संख्या और अन्य विवरण जैसे तकनीकी दस्तावेज़, विश्लेषण, कैलिब्रेशन, स्थापना प्रक्रियाएँ आदि शामिल हैं।

इस अधिनियम में प्रत्येक विनिर्दिष्ट बाँध के लिए आपात कार्य योजना (ईएपी) / आपदा प्रबंधन तैयार करने की आवश्यकता को भी अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में, बाँध मालिकों द्वारा 362 विनिर्दिष्ट बाँधों के संबंध में आपात कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।

(ङ): राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों को सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्रों, प्राथमिकता आधारित सुरक्षा आकलनों और समर्पित वित्त-पोषण कार्यक्रमों, जैसे कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण-II और चरण-III के माध्यम से लागू किया जा रहा है। विशेष बल उन उच्च-जोखिम वाले बांधों पर दिया जा रहा है जो भूकंपीय क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां जोखिम वर्गीकरण कार्यढांचे और उन्नत निगरानी प्रोटोकॉल को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है।

(च): बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निर्धारित किया गया है कि "विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक मालिक बांध के रखरखाव और मरम्मत के लिए तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त और विशिष्ट निधियां निर्धारित करेगा।" चूंकि भारत में बांधों का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, इसलिए नियमित संचालन, रखरखाव (ओ एंड एम) और पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि संबंधित एजेंसियों द्वारा उनके वार्षिक बजट के माध्यम से आवंटित की जाती है।

इसके अलावा, देश भर में चयनित मौजूदा बाँधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में सुधार के साथ-साथ बाँध सुरक्षा के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से, भारत सरकार बाह्य वित्त पोषण से बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) को कार्यान्वित कर रही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित ड्रिप चरण-I कार्यक्रम के तहत, सात राज्यों में स्थित 223 बाँधों का ऑडिट किया गया और उनका पुनर्वास किया गया। मार्च 2021 में ड्रिप चरण-I कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, भारत सरकार ने ड्रिप चरण-II और III योजना शुरू की है। इस योजना में 19 राज्यों स्थित 736 बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा सुधार की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसके लिए 10,211 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना की अवधि 10 वर्षों की है। ड्रिप चरण-II 12 अक्टूबर 2021 से कार्यान्वित किया जा चुका है, और इसे वर्ल्ड बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक

"राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2253 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनसीडीएस की 11वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

क्र.स.	नाम (श्री/श्रीमती/डा./कु.)	पदनाम	संगठन	एनसीडीएस में पद
1	अनुपम प्रसाद	अध्यक्ष	के.ज.आ.	अध्यक्ष
2	अनिल जैन	अध्यक्ष	एनडीएसए	सदस्य
3	रीडिंग शिमरे	सदस्य (डी एंड आर)	के.ज.आ.	सदस्य
4	एम जी गोखले	सदस्य (हाइड्रो)	सीईए	सदस्य
5	प्रदीप कुमार अग्रवाल	संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी)	डीओडब्ल्यूआर आरडी एंड जीआर	सदस्य
7	योगेंद्र पाल सिंह	वैज्ञानिक-'एफ'	एमओईएफ एंड सीसी	सदस्य
8	राहुल सक्सेना	वैज्ञानिक जी	आईएमडी	सदस्य
9	डॉ. पी. के. गजभिये	निदेशक, ईपीई, डीजीसीओ	जीएसआई	सदस्य
10	बी. सिंहद्रि राव	वैज्ञानिक-जी	एनआरएससी	सदस्य
11	एम. एस. हनुमंथप्पा	वैज्ञानिक 'डी'	सीडब्ल्यूपीआरएस	सदस्य
12	के. जी. महेश	निदेशक	कर्नाटक	सदस्य
13	सुखजीत सिंह भुल्लर	मुख्य अभियंता विजिलेंस एंड क्यूए	पंजाब	सदस्य
15	जोदिनथारी	मुख्य अभियंता	मिजोरम	सदस्य
16	निरंजन रावत	मुख्य अभियंता	ओडिशा	सदस्य
17	एस. ए. टाटू	महानिदेशक	महाराष्ट्र	सदस्य
18	सोरण सिंह	मुख्य अभियंता (परियोजना)	उत्तर प्रदेश	सदस्य
19	एस. के. सिबल	पूर्व सदस्य (डीएंडआर)	विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य
20	योगेन्द्र सिंह	प्रोफेसर	आईआईटी रुड़की	सदस्य
21	चंदन सिंह	अवर सचिव	एनडीएमए	सदस्य
22	प्रमोद नारायण	सदस्य (पी एंड आर,एनडीएसए)	एनडीएसए	सदस्य सचिव
23	मनोज कुमार	एस जे सी (पीआर)	डीओडब्ल्यूआर आरडी एंड जीआर	विशेष आमंत्रित
24	जयंत कुमार दास	महाप्रबंधक (सिविल)	एपीजीसीएल	विशेष आमंत्रित

25	महमूद आलम	मुख्य अभियंता	एसडीएसओ पटना	विशेष आमंत्रित
26	श्री पी. के. पाल	परियोजना निदेशक	छत्तीसगढ़	विशेष आमंत्रित
27	एस. एस. पगार	प्रमुख और मुख्य अभियंता	एसडीएसओ महाराष्ट्र	विशेष आमंत्रित
28	बी. वान	प्रमुख और अतिरिक्त मुख्य अभियंता	एसडीएसओ मेघालय	विशेष आमंत्रित
29	एस. कार्तिकेयन	अधीक्षण अभियंता	एसडीएसओ चेन्नई	विशेष आमंत्रित
30	शंकर कुमार साहा	अध्यक्ष	एसडीएसओ, उत्तराखंड	विशेष आमंत्रित